vinetur

नॉर्दर्न केप में शराब बिक्री के समय के मामले में दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

कोविड काल के बाद आर्थिक सुधार के दौरान शराब बिक्री का समय बढ़ाने से जुड़ा विवाद तय कर सकता है कि प्रांत व्यापार के नियम किस हद तक बना सकते हैं

रविवार, 15 नवंबर 2026



दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय ने गुरुवार, 12 नवंबर को नॉर्दर्न केप में शराब की बिक्री के समय को बढ़ाने से जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे यह विवाद अनसुलझा रह गया कि शराब बिक्री के नियम तय करने का अधिकार प्रांतों के पास कितना है।

यह मामला Democratic Alliance और Freedom Front Plus ने दायर किया है। वे अदालत से नॉर्दर्न केप के आर्थिक विकास और पर्यटन विभाग के उस फैसले को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत शराब बिक्री के समय को बढ़ाया गया था। विवादित प्रांतीय नियमों के तहत खुदरा विक्रेताओं को सप्ताह के दिनों में सुबह

9 बजे से रात 10 बजे तक और सप्ताहांत में सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक शराब बेचने की अनुमति थी।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बिक्री के बढ़े हुए समय Liquor Act और Disaster Management Act से टकराते हैं। कोविड-19 के दौरान संक्रमण फैलने और उससे जुड़े नुकसान को कम करने के लिए इन कानूनों के तहत पाबंदियां लगाई गई थीं। उनकी याचिका ने अदालत को इस व्यापक विवाद के केंद्र में ला दिया है कि शराब बाजार में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और आर्थिक गतिविधियों के बीच सरकारों को किस तरह संतुलन बनाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान राज्य के वकीलों ने नॉर्दर्न केप के रुख का बचाव किया और कहा कि यह बदलाव कानून के मुताबिक था। उन्होंने अदालत से कहा कि बिक्री का समय बढ़ाने का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को फिर से गति देना और लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान से उबरने के लिए कारोबारों को बेहतर अवसर देना था। प्रांत ने यह भी दलील दी कि फैसला मौजूदा कानूनी सीमाओं के भीतर था और शराब बोर्ड की निगरानी जारी रही।

अदालत ने पीठ से तत्काल फैसला नहीं सुनाया। इसके बजाय उसने कहा कि बाद में फैसला सुनाने से पहले वह पक्षों की दलीलों पर विचार करेगी। उपलब्ध कराई गई जानकारी में फैसले की कोई तारीख नहीं दी गई।

हालांकि विवाद एक ही प्रांत से जुड़ा है, इस मामले पर व्यापक स्तर पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो सकता है कि शराब की बिक्री के समय तय करते हुए प्रांतीय सरकारें किस सीमा तक जा सकती हैं। यह सवाल बार, रेस्तरां, शराब की दुकानों और शराब बेचने वाले अन्य कारोबारों के साथ-साथ बीयर, वाइन और स्पिरिट्स के उत्पादकों तथा वितरकों के लिए भी अहम है। बिक्री की अनुमत समय-सीमा का असर कर्मचारियों की तैनाती, आपूर्ति, दुकानों के खुलने के समय और आय के तौर-तरीकों पर पड़ सकता है।

यह मामला नीतिगत उस तनाव को भी दर्शाता है जो महामारी के बाद भी बना हुआ है। सरकारें अलग-अलग समय पर कहती रही हैं कि शराब की बिक्री पर पाबंदियों से अस्पतालों पर दबाव कम हो सकता है और शराब से जुड़े नुकसान पर अंकुश लगाया जा सकता है। वहीं, कारोबारी समूहों और कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि सख्त पाबंदियां रोजगार को नुकसान पहुंचा सकती हैं, कर राजस्व घटा सकती हैं और छोटे कारोबारों की वापसी धीमी कर सकती हैं। नॉर्दर्न केप का मामला इन परस्पर विरोधी उद्देश्यों को संवैधानिक दायरे में लाता है। अब देश की सर्वोच्च अदालत यह विचार कर रही है कि प्रांत ने कानून के दायरे में काम किया या नहीं।

दोनों पक्षों ने अदालत से कहा कि इस विवाद में संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। मूल प्रश्न यह है कि शराब बिक्री का समय बढ़ाते हुए प्रांत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के बीच कानूनसम्मत संतुलन बनाया या नहीं। संवैधानिक न्यायालय का फैसला आने तक इस संतुलन की कानूनी समीक्षा जारी रहेगी और पेय कारोबार से जुड़े व्यवसाय भविष्य में ऐसे नियमों का मूल्यांकन किस तरह किया जा सकता है, इस पर मार्गदर्शन के लिए करीब से नजर रखेंगे।